مُلخَّص رسالة:

«حقوقٌ دعت إليها الفطرة وقرَّرتها الشَّريعة»

للعلَّامة: محمَّد بن صالحٍ العثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ

सारांश:

“वो अधिकार जो नैसर्गिक रूप से होने चाहियें तथा शरीअत ने भी उन्हें अनुमोदित किया है”

लेखक: मोह़म्मद बिन स़ालेह़ उस़ैमीन रह़िमहुल्लाह

Language:	अरबी - हिंदी	العربيَّة – الإنجليزيَّة	اللُّغة:
Targeted areas:	भारत एवं नेपाल	الهند والنيبال	المناطق المُستهدفة باللُّغة:
Translated by:	साबिर हुसैन	صابر حسين	ترجمة:
Revised by:	सुन्नत संस्थान का वैज्ञानिक विभाग	القسم العلمي بمعهد السنة	مراجعة:
Supervisor:	डॉक्टर हैस़म सरह़ान	د. هيثم سرحان	إشراف:
Edition & Year:	प्रथम –1443 हिजरी	الأولى – ١٤٤٣هـ	النسخة والسَّنة:

الطَّبعة الأولى

الحقوق متاحة لكلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ

الرَّجاء التَّواصل على: islamtorrent@gmail.com

فسح وزارة الإعلام

بسم الله الرحمن الرحيم

الحقُّ الأوَّل: حقُّ الله تعالى

أن تعبده وحده لا شريك له، وتكون عبدًا مُتذلِّلًا خاضعًا له، مُمتثلًا لأمره، مُجتنبًا لنهيه، مُصدِّقًا بخبره.

عقيدةٌ مُثلى، وإيمانٌ بالحقِّ، وعملٌ صالحٌ مُثمرٌ.

عقيدةٌ قِوامها: المحبَّة والتَّعظيم، وثمرتها: الإخلاص والمُثابرة.

प्रथम अधिकारः सर्वोच्च अल्लाह का अधिकार

एक अकेले अल्लाह की इबादत व पूजा करना किसी को उसका साझी बनाये बिना, उसका विनम्र व आज्ञाकारी भक्त बन कर रहना, उसके आज्ञा का पालन करना, उसके निषेध व मना किये हुए कार्य से बचना, उसकी सूचनाओं की पुष्टि करना।

आदर्श आस्था व अक़ीदा रखना, ह़क़ व सत्य पर ईमान रखना, फलदायी धार्मिक कर्म करना।

ऐसी आस्था रखना जिसका आधार हैः मुहब्बत व प्रेम तथा इबादत व पूजा, और उसका फल हैः इख़लास़ व निष्ठा तथा दृढ़ता व अडिगता।

الحقُّ الثَّاني: حقّ رسول الله ﷺ

توقيره، واحترامه، وتعظيمه؛ التَّعظيمَ اللَّائقَ به، من غير غُلوٍّ ولا تقصيرٍ.

وتصديقُه فيما أخبر به من الأمور الماضية والمُستقبَلة، وامتثالُ ما به أمرَ، واجتناب ما عنه نهىٰ وزجرَ، والإيمانُ بأنَّ هديَه أكملُ الهدي، والدِّفاعُ عن شريعته وهديه.

दूसरा अधिकारः अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अधिकार

बिना किसी अतिशयोक्ति और कमी के उचित रूप से उनका आदर, सम्मान, और महिमांडन करना और उनका उचित सत्कार करना।

साथ ही उन पर विश्वास करना तथा उनकी पुष्टि करना जो उन्होंने हमें अतीत और भविष्य की घटनाओं के बारे में सूचित किया है, उन्होंने जो करने की हमें आज्ञा दी है, उसका अनुपालन करना तथा जो उन्होंने निषिद्ध किया है, उससे बचना, यह मानना कि उनका मार्गदर्शन बिल्कुल सटीक, पूर्ण व सही मार्गदर्शन है, तथा उनकी लाई हुई शरीयत (इस्लामी कानून) और उनकी सीरत व मार्गदर्शन का बचाव करना।

الحقُّ الثَّالث: حقّ الوالدين

أن تبرَّهما، وذلك بالإحسان إليهما قولًا وفعلًا، بالمال والبدن، وتمتثل أمرهما في غير معصية الله، وفي غير ما فيه ضررٌ عليك.

तीसरा अधिकारः माता-पिता के अधिकार

उनके साथ नेकी करना, और यह होगा उनके साथ कर्म एवं कथन में शरीर एवं धन के साथ शिष्टाचार व एहसान करने के द्वारा, उनके आज्ञाओं का पालन करना यदि वो अल्लाह की अवज्ञा पर आधारित नहीं हैं तो और न जिसमें आपको कोई क्षति व हानि होती हो।

الحقُّ الرَّابع: حقّ الأولاد

(١) التَّربية؛ وهي تنمية الدِّين والأخلاق في نفوسهم، حتَّىٰ يكونوا علىٰ جانبٍ كبيرٍ من ذلك.

(٢) أن يُنفَق عليهم بالمعروف، من غير إسرافٍ ولا تقصيرٍ.

(٣) ألَّا يُفضَّل أحدٌ منهم علىٰ أحدٍ في العطايا والهبات.

चौथा अधिकारः संतान के अधिकारः

1- पालन-पोषण एवं शिक्षा: यह उनके दिलों में उच्च स्तर पर धर्म और नैतिकता का विकास करना है।
2- उन पर बिना फिजूलखर्ची और लापरवाही के उचित तरीके से खर्च करना।
3- ख़र्चों और उपहारों में किसी को भी एक दूसरे के ऊपर वरीयता न देना।

الحقُّ الخامس: حقّ الأقارب

أن يصل قريبه بالمعروف؛ ببذل الجاه، والنَّفع البدنيِّ، والنَّفع الماليِّ بحسب ما تتطلَّبه قوَّة القرابة والحاجة.

पाँचवां अधिकारः संबंधियों के अधिकार

रिश्तेदारी के संबंधों को बनाए रखने के लिए अपने सगे-संबंधियों के साथ भलाई करे, अपनी सामाजिक स्थिति का प्रयोग करके, उन्हें शारीरिक तथा आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत रहे, इस बात को आधार बनाते हुए कि वे कितने निकटवर्ति और जरूरतमंद हैं।

الحقُّ السَّادس: حقّ الزَّوجين

أن يعاشر كلٌّ منهما الآخر بالمعروف، وأن يبذل الحقَّ الواجب له بكلِّ سماحةٍ وسهولةٍ، من غير

छठा अधिकारः पति-पत्नी के अधिकार

एक-दूसरे के साथ दयापूर्वक रहना और एक-दूजे के जो अधिकार हैं उन्हें पूरी सहनशीलता और सहजता के साथ अदा करना, बिना किसी बाध्यता या टाल-

تكرُّهٍ لبذله ولا مُماطلةٍ.

من حقوق الزَّوجة على زوجها: أن يقوم بواجب نفقتها من الطَّعام والشَّراب والكسوة والمسكن وتوابع ذلك، وأن يعدل بين الزَّوجات.

من حقوق الزَّوج على زوجته: أن تطيعه في غير معصية الله، وأن تحفظه في سرِّه وماله، وألَّا تعمل عملًا يضيِّع عليه كمال الاستمتاع.

मटोल के।

पत्नी का अपने पति पर अधिकार यह है कि: वह उसके भोजन, पेय, वस्त्र, आवास इत्यादि का प्रबंध करे, (और एक से अधिक पत्नी होने की स्थिति में) सभी पत्नियों के मध्य न्यायपूर्ण व्यवहार करे।

पति का अपनी पत्नी पर अधिकार यह है कि: अल्लाह की अवज्ञा न करने वाले मामलों में उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके रहस्यों और धन की रक्षा करना, और ऐसा कार्य न करना जो पूर्णतः उस से लाभांवित होने से उसे रोक दे।

الحقُّ السَّابع: حقّ الولاة والرَّعيَّة

حقوق الرَّعية على الوُلاة: أن يقوموا بالأمانة الَّتي حمَّلهم الله إيَّاها، وألزمهم القيام بها؛ من النُّصح للرَّعيَّة، والسَّير بها على النَّهج القويم الكفيل بمصالح الدُّنيا والآخرة، وذلك باتِّباع سبيل المؤمنين.

حقوق الولاة على الرَّعيَّة فهي: النُّصح لهم فيما يتولَّاه الإنسان من أمورهم، وتذكيرهم إذا غفلوا، والدُّعاء لهم إذا مالوا عن الحقِّ، وامتثال أمرهم في غير معصية الله، ومُساعدتهم.

सातवां अधिकार: शासकों और प्रजा के अधिकार

शासकों पर प्रजा के अधिकार: अल्लाह ने उन्हें जो अमानत व दायित्व सौंपा है और जिन जिम्मेवारियों को अदा करने के लिये बाध्य किया है, उसको अंजाम देना, जैसे कि उनका अपनी प्रजा को सलाह देना और उन्हें सही रास्ते पर ले जाना जो लोक और परलोक में उनके लाभ की गारंटी देता है, और ऐसा मोमिनों के मार्ग पर चलते हुए करे।

प्रजा पर शासकों के अधिकार: अल्लाह तआला ने उन्हें उनके मामलों का जो दायित्व सौंपा है उसके विषय में उन्हें सलाह देना, यदि वो लापरवाही करें तो उन्हें (उनका दायित्व) याद दिलाना, यदि वे सत्य मार्ग से भटक जायें तो उनके लिये प्रार्थना करना, अल्लाह की अवज्ञा न करने वाले मामलों में उनका आज्ञापालन करना, और उनकी सहायता करना।

الحقُّ الثَّامن: حقّ الجيران

الجار: هو القريب منك في المنزل، يُحسِن إليه بما استطاع من المال والجاه والنَّفع، ويكفُّ عنه

आठवां अधिकार: पड़ोसी के अधिकार

पड़ोसी: वह है जिस का घर आप के घर के निकट हो, पैसे, सामाजिक स्थिति और अन्य प्रकार की सहायता का उपयोग करके उनके अच्छे लिये आप

الأذىٰ القوليَّ والفعليَّ.

(١) إن كان قريبًا منك في النَّسب وهو مسلمٌ؛ فله ثلاثة حقوقٍ: حقُّ الجوار، وحقُّ القرابة، وحقُّ الإسلام.

(٢) إن كان مسلمًا وليس بقريبٍ في النَّسب؛ فله حقَّان: حقُّ الجوار، وحقُّ الإسلام.

(٣) وكذلك إن كان قريبًا وليس مسلمًا؛ فله حقَّان: حقُّ الجوار، وحقُّ القرابة.

(٤) إن كان بعيدًا غير مسلمٍ فله حقٌّ واحدٌ: حقُّ الجوار.

जो कुछ भी कर सकते है, उसको करें। आपको उन्हें किसी भी प्रकार का मौखिक या शारीरिक नुकसान पहुँचाने से भी बचना चाहिए।

1- यदि वह वंश के आधार पर आपका संबंधी है और मुसलमान है, तो उसका आप पर तीन अधिकार हैं: पड़ोस का अधिकार, रिश्तेदारी का अधिकार और इस्लाम का अधिकार।
2- यदि वह मुसलमान है और वंश के आधार पर वह आपका संबंधी नहीं है, तो उसके पास दो अधिकार हैं: पड़ोस का अधिकार और इस्लाम का अधिकार।
3- यदि वह रिश्तेदार है परंतु मुस्लिम नहीं है, तो उसके दो अधिकार हैं: पड़ोस का अधिकार और रिश्तेदारी का अधिकार।
4- यदि वह संबंधी नहीं है और गैर-मुस्लिम है, तो उसका केवल एक अधिकार है: पड़ोस का अधिकार।

الحقُّ التَّاسع: حقّ المسلمين عمومًا

منها السَّلام، وأن تجيبه إذا دعاك، وأن تنصحه إذا استنصحك، وأن تشمِّته إذا عطس فحمد الله، وأن تعوده إذا مرض، وأن تتَّبعه إذا مات، وأن تكفَّ الأذىٰ عنه.

حقوق المسلم علىٰ المسلم كثيرةٌ، ويمكن أن يكون المعنىٰ الجامع لها هو قوله ﷺ: «**الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ**»؛ فإنَّه متىٰ قام بمُقتضىٰ هذه الأُخُوَّة اجتهد أن يتحرَّىٰ له الخير كلَّه، وأن يجتنب كلَّ ما يضرُّه.

नौवां अधिकारः एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर सामान्य अधिकार

उन्हीं में से हैः सलाम करना, यदि वह आपको आमंत्रित करता है, तो निमंत्रण स्वीकार करें, यदि वह आपसे सलाह मांगे, तो उसे अच्छी सलाह दें, अगर वह छींकता है और 'अल्हम्दुलिल्लाह' कहता है, तो 'यरहमुकल्लाह' कहें, यदि वह बीमार हो, तो उससे भेंट करने के लिये जायें, यदि वह मर जाता है, तो उसके अंतिम संस्कार में शामिल हों, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने से बचें।

एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर अनेक अधिकार हैं, परंतु उन्हें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस कथन के अर्थ में संक्षेपित किया जा सकता है: "**एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है**"। इस भाईचारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये व्यक्ति अपने भाई के लिये सभी प्रकार

की अच्छाइयों की तलाश करने का प्रयास करेगा तथा उसे नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी चीज़ से बचने का प्रयास करेगा।

الحقُّ العاشر: حقّ غير المسلمين

يجب علىٰ وليِّ أمر المسلمين أن يحكُم فيهم بحكم الإسلام في النَّفس والمال والعِرض، وأن يُقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، ويجب عليه حمايتهم وكفُّ الأذىٰ عنهم.

ويجب أن يتميَّزوا عن المسلمين في اللِّباس، وألَّا يُظهروا شيئًا مُنكَرًا في الإسلام، أو شيئًا من شعائر دينهم؛ كالنَّاقوس، والصَّليب.

दसवां अधिकारः गैर-मुस्लिमों के अधिकार

एक मुस्लिम शासक को जीवन, धन एवं मान-मर्यादा में इस्लामी कानून के अनुसार उन पर शासन करना चाहिए, जिन्हें वो ह़राम व निषेध समझते हैं उन (का अपराधी हो जाने पर, उन) के ऊपर ह़द्द (इस्लामी शरीअत के अनुसार निर्धारित दंड) लगाना, उनकी सुरक्षा करना तथा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना।

उन्हें पोशाक में मुसलमानों से अलग होना चाहिए, और वो इस्लाम में वर्जित किसी भी चीज़ को अथवा अपने धर्म के किसी भी अनुष्ठान को प्रकट रूप से न अंजाम दें जैसे घंटी अथवा क्रॉस।